### न्यायालय :- अपर सत्र न्यायाधीश गोहद, जिला भिण्ड मध्य-प्रदेश

प्रकरण क्रमांक 316 / 2010 सत्रवाद संरिथति दिनांक 09-12-2010 मध्य प्रदेश शासन द्वारा आरक्षी केन्द्र मौ जिला भिण्ड म0प्र0।

-अभियोजन

#### बनाम

- मुन्नालाल उर्फ मुन्नासिंह यादव पुत्र नाथूसिंह उम्र ५९ वर्ष।
- ALLEND ALLEND STATE OF THE STAT शैलू उर्फ शैलेन्द्रसिंह पुत्र मुन्नासिंह यादव उम्र 24 वर्ष।
  - गुरूदयाल पुत्र रूस्तमसिंह यादव उम्र 37 वर्ष।
  - राजेन्द्र सिंह पुत्र जगतसिंह कुशवाह उम्र 45 वर्ष ।
  - दिनेश पुत्र राजेन्द्रसिंह कुशवाह उम्र 26 वर्ष। 5.
  - सुरमेश पुत्र राजेन्द्रसिंह उम्र 28 वर्ष। 6.
  - दीपकसिंह पुत्र मुन्नासिह यादव उम्र 29 वर्ष। 7. समस्त निवासी ग्राम देहगवा थाना मौ, जिला भिण्ड म0प्र0।

-अभियुक्तगण

न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी गोहद श्री सुशील कुमार के न्यायालय के मूल आपराधिक प्र०क० 583/2010 इ०फौ० से उदभूत यह सत्र प्रकरण क0 316/2010

शासन द्वारा अपर लोक अभियोजक श्री दीवान सिंह गुर्जर। <u>अभियुक्तगण द्वारा श्री प्रवीण गुप्ता एवं श्री बी.एस.यादव अधिवक्तागण।</u> 💙 / नि र्ण य / /

//आज दिनांक 24-06-2016 को घोषित किया गया// आरोपीगण मुन्नालाल, सुरमेश, दीपक, राजेन्द्र व गुरूदयाल का विचारण धारा

01.

323 विकल्प में धारा 336, 148, 307 विकल्प में धारा 307 / 149 भा0दं0वि0 के आरोप के संबंध में किया जा रहा है, जबकि आरोपीगण दिनेश, शैलू का विचारण धारा 323 विकल्प में धारा 336, 147, 307 / 149 भा0दं0वि0 के अपराध के आरोप के संबंध में किया जा रहा है। आरोपी मुन्नालाल एवं सुरमेश का विचारण उक्त धाराओं के अतिरिक्त धारा 25(1-बी)ए, 27 आयुध अधिनियम के आरोप के संबंध में भी किया जा रहा है। उन पर आरोप है कि दिनांक 21.01. 2010 को 14:50 बजे प्राथमिक शाला भवन ग्राम अधियारीखुर्द थाना मौ के बाहर आहत हरेन्द्र, धर्मेन्द्र और सुरेन्द्र के साथ मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की। वैकल्पिक रूप से उन पर यह भी आरोप है कि उन्होंने लापरवाही व उतावलेपन से पत्थर फेंककर उक्त आहतों को उपहति कारित की। आरोपी मुन्नालाल सुरमेश, दीपक, व राजेन्द्र पर यह भी आरोप है कि उपरोक्त दिनांक समय स्थान पर विधि विरूद्ध समूह का गठन किया जिसका सामान्य उद्देश्य बल व हिंसा के प्रयोग का था उसके अग्रसरण में कार्य करते हुए बल व हिंसा का प्रयोग कर बलवा कारित किया और इस दौरान घातक आयुधों से सुसज्जित थे। आरोपी दिनेश व राजेन्द्र पर यह आरोप है कि विधि विरूद्ध समूह के सदस्य रहते हुए उसके सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में बल व हिंसा का प्रयोग कर बलवा कारित किया। आरोपीगण पर यह भी आरोप है कि उपरोक्त दिनांक समय स्थान पर गंभीरसिंह, शिवरामसिंह एवं जयदेवी पर अग्नेयशस्त्र 12बोर के कट्टे से इस आशय या ज्ञान से और ऐसी परिस्थितियों में फायर किया कि यदि उक्त कृत्य से उनकी मृत्यु हो जाती तो वह हत्या के दोषी होते और इस दौरान आहत गंभीरसिंह व जयदेवी को उपहति कारित की। वैकल्पिक रूप से उन पर यह भी आरोप है कि उपरोक्त दिनांक समय स्थान पर आरोपीगण के द्वारा विधि विरूद्ध जमाव के सदस्य रहते हुए जिसका सामान्य उद्देश्य गंभीरसिंह, शिवराम और जयदेवी पर प्रांण घातक हमला करने का था इस आशय या ज्ञान से और ऐसी परिस्थितियों में उन पर अग्नेयशस्त्र से फायर किया कि यदि उनकी मृत्यु हो जाती तो आप हत्या के दोषी हो जाते तथा उक्त कृत्य विधि विरूद्ध जमाव के सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में कार्य करते हुए किया गया। आरोपीगण मुन्नालाल व सुरमेश पर यह भी आरोप है कि वह अपने आधिपत्य में 12 बोर की अधिया बिना वैध अनुज्ञप्ति के रखे हुए थे और यह भी आरोप है कि उक्त अवैध अग्नेयशस्त्र का प्रयोग उनके द्वारा घटना कारित करते समय किया गया।

02. यह अविवादित है कि साक्षीगण आरोपीगण को पूर्व से जानते पहचानते हुए। यह भी अविवादित है कि घटना दिनांक 21.01.2010 को ग्राम पंचायत चुनाव की बोटिंग

चल रही थी। यह भी अविवादित है कि उक्त चुनाव में जगदेवसिंह और सुरमेश कुशवाह सरपंच के पद के प्रत्यासी थे, घटना अधियारीखुर्द में पाठशाला के भवन में हुई थी। यह भी अविवादित है कि प्रकरण में पक्षकारों के मध्य हुए राजीनामा के आधार पर आरोपीगण मुन्नालाल, सुरमेश, दीपक, राजेन्द्र व गुरूदयाल, दिनेश, शैलू को धारा 323 भाठदंठविठ के आरोप से दोषमुक्त किया जा चुका है।

अभियोजन प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार से रहा है कि दिनांक 21.01.2010 को 03. ग्राम अधियारीखुर्द में प्रचायत चुनाव चल रहा था। उक्त पंचायत चुनाव में फरियादी हरेन्द्रसिंह के पिता जगदेवसिंह तथा स्रमेशसिंह सरपंच पद के प्रत्यासी थे। उपरोक्त दिनांक को प्राथमिक शाला भवन अधियारीखुर्द मतदान केन्द्र क्रमांक 261, 262 पर मतदान चल रहा था। मतदान के दौरान दिन के पौने तीन बजे करीब प्रत्यासी सुरमेशसिंह और उसके साथ मुन्नालाल यादव, शैलू, दिनेश, गुरूदयाल जो कि ग्राम देहगवां के रहने वाले है जिसकी पंचायत ग्राम अधियारी खुर्द ही लगती है, अपने साथ तीन महिलाओं को लेकर आए और फर्जी बोट डलवाने के लिए उन्हें लाइन में खडा किया एवं उनका नम्बर आने पर उसने और उसके पिता जगदेव ने महिलाओं को फर्जी कहकर आपत्ति की तो आरोपीगण ने पास में खडी उसकी बुआ जयदेवी को हाथ पकडकर धक्का दे दिया, उसने मना किया तो सभी लोग स्कूल के बाहर पथराव करने लगे जिससे उसके एवं उसके भाई धर्मेन्द्रसिंह व सुरेन्द्रसिंह के सिर में चोटें लगकर खून निकल आया। उसके पिता जगदेवसिंह, चाचा गंभीरसिंह और शिवरामसिंह जयदेवी को बचाने के लिए आए तो मुन्नालाल, दीपक, राजेन्द्र तथा गुरूदयाल ने पत्थर मारे और सुरमेश कुशवाह ने 12 बोर की अधिया से जान से मारने के लिए फायर किया जिससे कि गंभीरसिंह को चोटें आई और बुआ जयदेवी को भी छर्रे सिर के पीछे की तरफ तथा वांए हाथ की उंगली में चोटें आई। पुलिस ने भीड को तितर-बितर करने के लिए फायर किया तो वह लोग भाग गए। उसके पिता ने थाने में फोन से सूचित किया तत्पश्चात् रिपोर्ट थाना मौ में प्रदर्श पी. 1 के अनुसार फरियादी हरेन्द्रसिंह के द्वारा दर्ज कराई गई जो कि अप.क 07/2010 धारा 307, 336, 147, 148, 149 भा0दं०वि० का पंजीबद्ध किया गया। आहतों को चिकित्सीय परीक्षण हेतु भेजा गया, घटनास्थल का नक्शामीका बनाया गया। घटनास्थल से दो पत्थर के दुकडे जिन पर खून के छींटे पड़े हुए थे और दो कारतूस के खाली खोखे जप्त किये गए। आरोपी मुन्नासिंह को गिरफ्तार कर उसके मेमोरेण्डम कथन के आधार पर दिनांक 09.05.2010 को उसके पेश करने पर प्र.पी. 20 के अनुसार 12बोर की अधिया एवं 2 जिंदा कारतूस, 2 खोखा 12बोर के जप्त किये गए। आरोपी सुरमेश को भी गिरफ्तार कर उसे पूछताछ कर मेमोरेण्डम कथन लिया गया और प्र.पी. 25 के अनसार एक अधिया 12 बोर का व एक कारतूस 12 बोर का जिंदा और खोखा 12 बोर का जप्त किया गया। शेष आरोपीगण की गिरफ्तार की गई। साक्षियों के कथन लेखबद्ध किए गए। जप्तशुदा अग्नेयशस्त्र परीक्षण हेतु राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला भेजी गई। प्रकरण की सम्पूर्ण विवेचना उपरांत अभियोगपत्र जे0एम0एफ0सी न्यायालय में पेश किया गया जो कि उपार्पण उपरांत माननीय सत्र न्यायालय भिण्ड के आदेशानुसार विचारण हेतु इस न्यायालय को प्राप्त हुआ है।

04. आरोपीगण मुन्नालाल, सुरमेश, दीपक, राजेन्द्र व गुरूदयाल के विरूद्ध धारा 323 विकल्प में धारा 336, 148, 307 विकल्प में धारा 307 / 149 भा0दं0वि० का आरोप तथा आरोपी मुन्नालाल एवं सुरमेश के विरूद्ध उक्त धाराओं के अतिरिक्त धारा 25 (1—बी)ए, 27 आयुध अधिनियम एवं आरोपीगण दिनेश, शैलू के विरूद्ध धारा 323 विकल्प में धारा 336, 147, 307 / 149 भा0दं0वि० का आरोप पाए जाने से आरोप लगाकर पढकर सुनाया समझाया गया। आरोपीगण ने जुर्म अस्वीकार किया उनकी प्ली लेखबद्ध की गई। प्रकरण में आरोपीगण को राजीनामा के आधार पर धारा 323 भा0दं0वि० के आरोप से दोषमुक्त किया जा चुका है।

05. दं.प्र.सं. के प्रावधानों के अनुसार अभियुक्त परीक्षण किया गया। अभियुक्त परीक्षण में अभियुक्तगण ने स्वयं को निर्दोष होना बताते हुए झूठा फंसाया जाना अभिकथित किया है एवं बताया है कि पंचायत चुनाव की रंजिश के कारण उन्हें झूठा लिप्त किया गया है एवं यह अभिकथित किया कि घटना दिनांक को फरियादी पक्ष के द्वारा फर्जी महिला को बोट डालने के लिए ले आने का विरोध करने पर उनके द्वारा स्वयं आरोपी पक्ष से मारपीट की गई, इस दौरान पुलिस वालों के द्वारा हवाई फायर किए गए और पथराव भी हुआ था, इसी पथराव में फरियादी व अन्य आहतों को चोटें आई थी। बचाव में बचाव साक्षी सतेन्द्रसिंह ब0सा0 1 एवं मुन्नासिंह ब0सा0 2 के कथन कराए है। उक्त साक्षियों के द्वारा जगदेवसिंह व उसके अन्य सहयोगियों के द्वारा झगडा एवं मारपीट प्रारंभ करना। आरोपी मुन्ना, शैलू और दीपक के द्वारा कोई घटना कारित न करना बताया है।

06. आरोपीगण के विरूद्ध विचारित किए जा रहे अपराध के संबंध में विचारणीय यह है कि:—

1. क्या दिनांक 21.01.2010 को 14:50 बजे प्राथमिक शाला ग्राम अधियारी खुर्द के बाहर आरोपीगण ने लापरवाही एवं उतावलेपन से पत्थर फेंककर अभियोगी हरेन्द्र, धर्मेन्द्र व

सुरेन्द्र के जीवन या उन्हें वैयक्तिक क्षेम संकटापन्न कारित किया?

- 2. क्या उपरोक्त दिनांक समय स्थान पर विधि विरूद्ध समूह का गठन किया और उसके सदस्य रहते हुए उसका सामान्य उद्देश्य मारपीट, बल व हिंसा का प्रयोग करने का था और इस दौरान बल व हिंसा का प्रयोग कर बलवा कारित किया गया?
- 3. क्या उक्त दिनांक समय स्थान पर में विधि विरूद्ध समूह का गठन किया जिसका सामान्य उद्देश्य हत्या के प्रयास का था, उस समूह के सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में वल व हिंसा का प्रयोग कर बलवा कारित किया और इस दौरान आरोपी मुन्नालाल, सुरमेश घातक आयुध 12बोर बंदूक, कुल्हाडियों से सुसज्जित थे?
- 4. क्या आरोपी मुन्नालाल व सुरमेश के द्वारा आहत गंभीरसिंह, शिवराम और जयदेवी को 12बोर की के कट्टे से फायर इस आशय या ज्ञान से और ऐसी परिस्थितियों में कारित किया कि यदि उनकी की मृत्यु हो जाती तो वह हत्या के दोषी हो जाते।
- 5. गंभीरसिंह, शिवराम और जयदेवी को इस प्रकार से 12बोर के कट्टे से चोट पहुँचाकर उपहति कारित की?
- 6. क्या अन्य सहआरोपीगण के द्वारा गंभीरसिंह, शिवराम और जयदेवी के साथ मारपीट करने का सामान्य उद्देश्य निर्मित किया और उसके अग्रसरण में कार्य करते हुए आरोपी मुन्नालाल व सुरमेश के द्वारा गंभीरसिंह, शिवराम और जयदेवी को इस आशय या ज्ञान से और ऐसी परिस्थितियों में कि यदि उसकी मृत्यु हो जाती तो हत्या के दोषी होते, इस प्रकार उन्हें चोट पहुँचाकर उपहित कारित की?
- 7. क्या आरोपीगण मुन्नालला व सुरमेश अपने अपने आधिपत्य में 12 बोर की अधिया चालू हालत में बिना वैध अनुज्ञप्ति के रखे हुए थे?
- 8. क्या उक्त दोनों आरोपी मुन्नालाल व सुरमेश के द्वारा उक्त अग्नेयशस्त्र 12बोर की अधिया का प्रयोग घटना कारित करने में किया?

# 🚅 सकारण निष्कर्ष:–

# बिन्दू क्रमांक 1 लगायत 6 :-

07. डॉ० बी० अर्गल अ०सा० ४ के द्वारा दिनांक 21.01.2010 का सामुदायिक स्वास्थ केन्द्र गोहद में मेडीकल ऑफीसर के पद पर पदस्थ दौरान उक्त दिनांक को आरक्षक शिवनारायण नम्बर 705 के द्वारा लाए जाने पर आहत हरेन्द्र सिंह की चोटों का मेडीकल परीक्षण किया था जिसमें उसे निम्न चोटें पाई थी— (i) फटा हुआ घाँव 1 x 1/4 इंच त्वचा की गहराई तक सिर के पीछे के भाग में मध्य लाईन के एक इंच दाहिनी तरफ उपस्थित था जिसके ऊपर खून जमा हुआ था। (ii) फटा हुआ घाँव 1 x 1/4 इंच त्वचा की गहराई तक सिर के मध्य भाग में मध्य लाइन के 2 इंच दाहिनी तरफ उपस्थित था, जिसके ऊपर खून जमा हुआ था। (iii) आहत पीठ में चोट बता रहा था, लेकिन कोई चोट दिखाई नहीं दे रही थी। उक्त साक्षी के द्वारा अपने अभिमत में बताया है कि आहत को आई सभी चोटें सख्त एवं भौतरे हथियार से पहुँचाई गई साधारण प्रकृति की थी जिनकी कि एक्सरे के बाद प्रकृति बदल सकती थी जो कि परीक्षण के 24 घण्टे के अंदर की थी। आहत को सिर के लिए एक्सरे की सलाह दी थी। उनके द्वारा तैयार मेडीकल रिपोर्ट प्र.पी. 5 है जिसके ए से ए भाग पर उनके हस्ताक्षर है।

08. साक्षी ने आगे यह भी बताया है कि उक्त दिनांक को ही उक्त आरक्षक केद्वारा लाए जाने पर आहता श्रीमती जयदेवी को आई चोटों का परीक्षण किया था जिसमें उसे निम्न चोटें पाई— (i) फटा हुआ घाँव 1 x 1/4 इंच त्वचा की गहराई तक िसर के पीछे के भाग में उपस्थित था जिसमें खून उपस्थित था। (ii) फटा हुआ घाँव 1 x 1/4 इंच त्वचा की गहराई तक वांए हाथ की मध्य वाली उंगली के मध्य में हथैली की तरफ उपस्थित था जिसमें खून उपस्थित था। (iii) फटा हुआ घाँव 0.5 x 1/4 इंच त्वचा की गहराई तक वांए हाथ की तर्जनी उंगली में मध्य की तरफ उपस्थित था जिसके ऊपर खून जमा हुआ था। उक्त साक्षी के द्वारा अभिमत में बताया है कि आहता को आई सभी चोटें सख्त एवं भौतरे हथियार से पहुँचाई गई थी जो कि साधारण प्रकृति की थी तथा चोट कमांक 2 की प्रकृति जानने के लिए एक्सरे की सलाह दी थी। चोटे परीक्षण के 24 घण्टे के अंदर की थी। उनके द्वारा तैयार मेडीकल रिपोर्ट प्र.पी. 6 है जिसके ए से ए भाग पर उनके हस्ताक्षर है। उक्त साक्षी के द्वारा दिनांक 23.01.10 को आहता के वांए हाथ का एक्सरे किया था जिसमें तर्जनी उंगली में छर्र दिखाई दे रहे थे, आहत को एक्सरे विशेषज्ञ भिण्ड में भेजा गया था जिसमें अभिमत मांगने की सलाह दी थी। एक्सरे रिपोर्ट प्र.पी. 7 है जिसके ए से ए भाग पर उनके हस्ताक्षर है।

09. साक्षी के द्वारा आगे यह भी बताया है कि दिनांक 21.01.2010 को उसी आरक्षक के द्वारा लाए जाने पर आहत शिवरामसिंह को आई चोटों का मेडीकल परीक्षण किया

था जिसे कि परीक्षण के दौरान निम्न चोटें पाई गई— (i) फटा हुआ घाँव  $2 \times 1/4$  इंच त्वचा की गहराई तक िसर के पीछे के भाग में मध्य लाईन में उपस्थित था जिसके ऊपर खून जमा हुआ था। (ii) नीलगू निशान  $2 \times 1/4$  इंच आकार का वांए भुजा में पीछे की तरफ तथा मध्य भाग में उपस्थित था जिसमें दवाने पर दर्द था। (iii) नीलगू निशान  $2 \times 1$  इंच आकार का दाहिनी तरफ पीठ पर कंधे वाले भाग पर उपस्थित था जिसकी त्वचा का रंग लाला था। (iv) नीलगू निशान  $2 \times 1$  इंच आकार का वांई तरफ पेट पर कंधे के भाग पर उपस्थित था जिसकी त्वचा का रंग लाला था। (v) नीलगू निशान  $1 \times 1$  इंच आकार का दाहिनी तरफ कमर के उपर पीदें की तरफ उपस्थित था जिसकी त्वचा का रंग लाला था। उक्त साक्षी के द्वारा अपने अभिमत में बताया है कि आहत को आई सभी चोटें सख्त एवं भौतरे हथियार से पहुँचाई जा सकती थी जो कि सामान्य प्रकृति की थी, किन्तु चोट कमांक 1 व 2 की प्रकृति एक्सरे के बाद पता लगाई जा सकती थी। जो कि 24 घण्टे के अंदर की थी, आहत के सिर एवं वाई भुजा के लिए एक्सरे की सलाह दी थी। उनके द्वारा तैयार मेडीकल रिपोर्ट प्र.पी. 8 है जिसके ए से ए भाग पर उनके हस्ताक्षर है।

- 10. उसी दिनांक को उक्त आरक्षक के द्वारा लाए जाने पर आहत धर्मेन्द्र की चोटों का मेडीकल परीक्षण किया था जिसे कि निम्न चोटें पाई थी— (i) फटा हुआ घाँव 1 x 1/4 इंच त्वचा की गहराई तक िसर के मध्य भाग में वाई तरफ उपस्थित था, घाँव के उपर खून जमा हुआ था। (ii) फटा हुआ घाँव 1 x 1/4 इंच त्वचा की गहराई तक िसर के पीछे के भाग में मध्य लाईन पर उपस्थित था, घाँव के उपर खून जमा हुआ था। (iii) फटा हुआ घाँव 1 x 1 से.मी. आकार में दाहिने हाथ के बाहरी भाग पर उपस्थित था, घाँव के उपर खून जमा हुआ था तथा घाँव के चारो तरफ सूजन उपस्थित थी। उक्त साक्षी के द्वारा अपने अभिमत में बताया है कि आहत को आई सभी चोटें सख्त एवं मौतरे हथियार से पहुँचाई गई थी जो कि साधारण प्रकृति की थी, किन्तु प्रकृति एक्सरे रिपोर्ट के बाद बदल सकती थी, जो परीक्षण के 24 घण्टे के अंदर की थी। आहत को सिर व दाहिने हाथ के एक्सरे कराने की सलाह दी थी। उक्त मेडीकल रिपोर्ट प्र.पी. 9 है जिसके ए से ए भाग पर उनके हस्ताक्षर है।
- 11. उक्त साक्षी के द्वारा उसी दिनांक को उक्त आरक्षक के द्वारा लाए जाने पर आहत सुरेन्द्रसिंह का मेडीकल परीक्षण किया था जिसमें निम्न चोटें पाई गई (i) फटा हुआ घाँव 2 x 1/4 इंच त्वचा की गहराई तक सिर के पीछे भाग में मध्य लाइन पर उपस्थित था, घाँव के उपर खून जमा हुआ था। (ii) सूजन 2 x 2 इंच आकार में दाहिने हाथ के बाहरी भाग पर उपस्थिति थी, सूजन के ऊपर 2 x 1 से0मी0 आकार में छिलन मौजूद थी। उक्त

साक्षी के द्वारा अपने अभिमत में बताया है कि आहत को आई चोटें सख्त एवं मोथरे हथियार से पहुँचाई गई थी जिनकी प्रकृति साधारण थी, किन्तु एक्सरे के बाद प्रकृति बदल सकती थी, उक्त चोटें 24 घण्टे के अंदर की थी। आहत को सिर एवं दाहिने हाथ के एक्सरे कराने की सलाह दी थी। उनके द्वारा तैयार मेडीकल रिपोर्ट प्र.पी. 10 है जिसके ए से ए भाग पर उनके हस्ताक्षर है।

- 12. उक्त साक्षी के द्वारा उसी दिनांक को उक्त आरक्षक के द्वारा लाए जाने पर आहत गंभीरसिंह का मेडीकल परीक्षण किया था जिस निम्न चोटें पाई थी— (i) फटा हुआ घाँव 1 x 1/4 इंच त्वचा की गहराई तक सिर के पीछे के भाग में उपस्थित था, घाँव के उपर खून जमा हुआ था। (ii) फटा हुआ घाँव 1.5 x 1/4 इंच त्वचा की गहराई तक सिर के मध्य भाग में मध्य लाईन के 1 इंच वांई तरफ उपस्थित था, घाँव के उपर खून जमा हुआ था। (iii) फटा हुआ घाँव 1.5 x 1/4 इंच त्वचा की गहराई तक सिर के आगे के भाग में दाहिनी तरफ मौजूद था। (iv) छिलन 1 x 1/4 इंच आकार की वाए हाथ की मध्य वाली उंगली के बहारी भाग में उपस्थित था जिस पर खून के धब्बे लगे हुए थे। (v) छिलन 0.5 x 1/4 इंच आकार की वांए हाथ के बाहरी भाग पर उपस्थित था जिस पर खून के धब्बे लगे हुए थे। साक्षी के द्वारा अपने अभिमत में बताया है कि आहत को आई हुई उक्त चोटें सख्त एवं मोथरे हथियार से पहुँचाई गई थी जो कि साधारण प्रकृति की होकर परीक्षण के 24 घण्टे के अंदर की थी। चोटों की प्रकृति की प्रकृति बदल सकती थी। आहत को सिर तथा वांए हाथ का एक्सरे कराने की सलाह दी थी। उनके द्वारा तैयार मेडीकल रिपोर्ट प्र.पी. 11 है जिसके ए से ए भाग पर उनके हस्ताक्षर है।
- 13. इस प्रकार चिकित्सक डॉक्टर बी०अर्गल के कथन से स्पष्ट है कि घटना के पश्चात् आहतगणों के शरीर पर उपरोक्त बताए गई चोटें मौजूद थी। अब विचारण यह हो जाता है कि क्या आरोपीगण के द्वारा ही विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य रहते हुए घातक आयुधों से सुसज्जित होकर बलवा कारित किया? क्या आरोपीगण या किसी आरोपी के द्वारा गंभीरिसंह एवं जयदेवी की हत्या का प्रयत्न किया गया और इस दौरान उन्हें उपहित कारित की गई?
- 14. घटना के संबंध में घटना के फरियादी / रिपोर्टकर्ता हरेन्द्रसिंह अ०सा० 1 ने अपने साक्ष्य कथन में आरोपीगण को पहचानना स्वीकार करते हुए बताया है कि साक्ष्य दिनांक

07.11.2014 से करीब पांच साल पहले दिनांक 21.01.2010 के शाम के 3-4 बजे की घटना है। घटना दिनांक को पंचायत चुनाव था और बोटिंग की जा रही थी। उसके पिता जगदेवसिंह सरपंच पद के प्रत्यासी थे और दूसरी और से सुरमेश कुशवाह और एक अन्य प्रत्यासी प्रवेश राजपूत सरपंच पद के प्रत्यासी थे। घटना प्राथमिक शाला भवन अधियारी खुर्द की है। आरोपी मुन्ना, शैलू और दीपक अपने साथ तीन महिलाओं को लाए और बोट डलवाने के लिए लाइन में खड़ा कर दिया। बोटिंग के दौरान उसके पिता ने फर्जी मतदान की बात कही तो उक्त तीनों लोग झगड़ा करने लगे उसने मना किया तो उसे जान से मारने की नियत से तीनों फायर करने लगे। उसकी बुआ जयदेवी उसे बचाने के लिए आई और उन्होंने 12 बोर की अधिया के सामने अपना हाथ किया तो उसके वांए हाथ में छर्रे लगे तथा चाचा गंभीरसिंह और उसके भाई को भी चोटें आई। उसके पिता जगदेवसिंह ने पुलिस गार्ड को पुकारा तो पुलिस गार्ड ने हवाई फायर किये तब उक्त लोग वहाँ से भागे। उसके पिता ने पुलिस थाना मी में सूचना की और पुलिस फोर्स वहाँ आई थी और उन्हों थाना मी लेकर गई थी। थाना मी पर उसने घटना की रिपोर्ट लिखाई थी जो प्र.पी. 1 है जिस पर ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। उसका इलाज मी अस्पताल में हुआ था।

- 15. घटना के फरियादी / रिपोर्टकर्ता के द्वारा अभियोजन प्रकरण जो कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में बताया जा रहा है उसका उचित रूप से समर्थन न करने के कारण अभियोजन के द्वारा उसे पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रकार के प्रश्न पूछे गए है, किन्तु इस दौरान प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इस सुझाव को गलत बताया है कि उसने आरोपी सुरमेश, राजेन्द्र, गुरूदयाल और दिनेश के नाम घटना कारित करने वालों में लिखाए थे और इस बात से भी इन्कार किया है कि उक्त चारों लोग फर्जी मतदान करा रहे थे, इस संबंध में प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी. 1 में आरोपी सुरमेश, दिनेश, गुरूदयाल और राजेन्द्र के नाम लिखाना तथा पुलिस कथन प्र.पी. 2 में भी उनके नाम बताने से साक्षी इन्कार किया है।
- 16. उपरोक्त घटना के संबंध में घटना का अन्य प्रमुख साक्षी जगदेवसिंह अ०सा० 2 जो कि ग्राम पंचायत के चुनाव में सरपंच का प्रत्यासी था के द्वारा भी आरोपीगण को पहचानना स्वीकार किया है। साक्षी आरोपी मुन्ना, दीपक, शैलू के द्वारा दो तीन महिलाओं को बोट डालने के लिए पोलिंगबूथ पर लाना और उनके द्वारा आपत्ति करने पर उक्त तीनों लोग तथा गांव के अन्य लोगों के द्वारा पथराव शुरू करना और पथराव में उसके लडके धर्मेन्द्र, हरेन्द्र, भाई गंभीरसिंह और शिवराम को चोटे आना बताया है। साक्षी के द्वारा आगे यह भी बताया है कि उसके ऊपर आरोपी मुन्ना ने फायर किया जो कि उसकी बहन जयदेवी के द्वारा हाथ लगाया

गया तो उसके हाथ में छर्रा लग गया और इसके अतिरिक्त उसके लडके को भी छर्रा लगा था। कट्टे से 2-4 फायर और हुए थे। पोलिंगबूथ पर उपस्थिति फोर्स ने उसे अलग कर दिया। झगडा काफी देर तक होता रहा और वह पोलिंगबूथ के अंदर रहा। पुलिस ने आने पर उसे निकाला था और रिपोर्ट लिखाने के लिए हरेन्द्र, धर्मेन्द्र, गंभीर, शिवराम, जयदेवी और सुरेन्द्र आदि गए थे।

- 17. उक्त साक्षी को भी अभियोजन के द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रकार के प्रश्न पूछे गए है, किन्तु इस दौरान साक्षी ने घटना के समय अन्य आरोपी राजेन्द्र, सुरमेश, गुरूदयाल के द्वारा बंदूक से फायर करना जिसके छर्रे जयदेवी को लगने और राजेन्द्र के द्वारा पत्थर फेंकने की बात से इन्कार किया है और उसके द्वारा पुलिस को दिए गए कथन प्र.पी. 3 में उपरोक्त आरोपीगण राजेन्द्र, सुरमेश और गुरूदयाल के मौजूद होने और उनके द्वारा किए गए कृत्य के संबंध में ए से ए, बी से बी और सी से सी भाग देने से इन्कार किया गया है।
- 18. अभियोजन के द्वारा प्रस्तुत अन्य साक्षी धर्मेन्द्र अ०सा० 3, शिवराम अ०सा० 5, सुरेन्द्रसिंह पुत्र माधोसिंह अ०सा० 7, अभिलाखसिंह अ०सा० 8, गंभीरसिंह अ०सा० 10, सुरेन्द्रसिंह पुत्र शिवरामसिंह अ०सा० 12 के कथनों में भी ग्राम पंचायत के चुनाव के दौरान ग्राम अधियारीखुर्द पोलिंगबूथ पर बोटिंग के दौरान दिन के पौने तीन बजे करीब फर्जी मतदान को लेकर के आरोपी दीपक, शैलू, मुन्ना के द्वारा विवाद करने और उनके द्वारा कट्टा, अधिया से फायर करना और पत्थरवाजी करना जो कि फायर से जयदेवी की उंगली में चोट लगना तथा अन्य लोगों को भी पत्थर से चोट आने के संबंध में बताया गया है। उक्त साक्षीगण को भी अभियोजन के द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रकार के प्रश्न पूछे गए है, इस दौरान साक्षीगण के द्वारा घटना के समय आरोपी सुरमेश, दिनेश, गुरूदयाल और राजेन्द्र की मौजूदगी अथवा उनके द्वारा कोई भी कृत्य किये जाने से इन्कार किया है।
- 19. घटना के संबंध में घटना की बताई आहता जयदेवी अ0सा0 9 के रूप में अभियोजन के द्वारा परीक्षित कराई गई है। साक्षिया जयदेवी के द्वारा अपने साक्ष्य कथन में बताया गया है कि घटना दिनांक को अधियारीखुर्द अपने मायके वह आई थी और उस दिनांक को पंचायत चुनाव की बोटिंग चल रही थी। उसका भाई जगदेव सरपंची का चुनाव लड रहा था। दिन के ढाई—तीन बजे का समय था, वह मतदान केन्द्र की वाउण्डरी के बाहर थी, गांव वालों ने आवाज दी कि लडाई होने वाली है तो वह वहाँ पहुँची। मतदान केन्द्र में महिलाएं

फर्जी मतदान करने जा रही थी और उसका भाई जगदेविसंह मुन्नासिंह को रोक रहे था कि महिलओं से फर्जी बोट मत डलवाओ। घटना के समय मुन्ना के साथ दो और लड़के थे जो कि पत्थर और मिट्टी के डेले फेंक रहे थे जो कि उसके भाई को लगे थे। आरोपी मुन्ना भी अधिया लिए हुए था, अधिया से उसके भाई जगदेविसंह पर फायर करने लगा तो उसने हाथ लगा दिया जो कि उसने डेढे हाथ (वाएं हाथ) में लगी थी और उसके सिर में भी लग गए था। घटना में शिवराम,गंभीर, हरेन्द्र और बंटी को भी चोटें आई थी। उसने घटनास्थल पर तीन ही आरोपीगण को पहचाना था। पुलिस वालों ने भी गोलियाँ चलाई थी और पुलिस उन्हें थाना मों में लाई थी, उनका इलाज भी हुआ था।

अभियोजन साक्षी जे0आर0जुमनानी अ0सा0 14 तत्कालीन थाना प्रभारी थाना मौ 20. घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट अप०क० 07/2010 धारा 307, 336, 147, 148, 149 भा0दं०वि० का फरियादी हरेन्द्र के द्वारा आरोपी सुरमेश, मुन्नालाल, शैलू, दीपक, गुरूदयाल के विरूद्ध फर्जी मृतदान करते समय मृतदान केन्द्र के बाहर पथराव करने और सुरमेश के द्वारा 12 बोर की बंदूक से फायर करने बावत लिखाई गई थी, जिस पर उन्होंने उक्त अपराध प्र.पी. 1 का पंजीबद्ध किया गया था जिस पर बी से बी भाग पर उनके हस्ताक्षर है तथा आहतों को मेडीकल परीक्षण हेतु भेजा था। इसे अतिरिक्त घटनास्थल पर पहुँचकर नक्शामौका प्र.पी. 21 बनाया जाना बताया है। घटनास्थल से दो पत्थर के टुकडे जिन पर खून लगा हुआ था और दो खोखे कारतूस के 8 एम.एम. के जप्त कर जप्ती पत्रक प्र.पी. 22 तैयार करना और ए से ए भाग पर हस्ताक्षर होना तथा साक्षीगण के कथन लेखबद्ध करना बताया है। इसके अतिरिक्त दिनांक 26.01.2010 को आरोपी सुरमेश से पूछताछ कर उसके द्वारा घटना में प्रयुक्त कट्टा अपने गौंडा में छिपाकर रखा हुआ और चलकर बरामद करवा देना बताए जाने पर मेमोरेण्डम कथन प्र.पी. 24 लेखबद्ध किया गया था और आरोपी सुरमेश की निशादेही पर उसके पेश करने पर एक अधिया 12बोर और एक खोखा कारतूस और एक जिंदा कारतूस जप्त कर जप्ती पत्रक प्र.पी. 25 बनाया था। आरोपी मुन्ना को गिरफ्तार कर उससे पूछताछ करना और उसके द्वारा 12 बोर की अधिया और कारतूस के खोखे बरामद करने की सूचना देना जो कि मेमोरेण्डम कथन प्र.पी. 19 लेखबद्ध करना जिस पर बी से बी भाग पर उनके हस्ताक्षर होना और आरोपी मुन्ना के बताए अनुसार उसके पेश करने पर दो जिंदा कारतूस और दो खोखे जप्त कर जप्ती पत्रक प्र.पी. 20 तैयार करना बताया है। अन्य अभियोजन साक्षी महिपालसिंह अ०सा० 15 एवं करनसिंह अ०सा० 16 आरोपी सुरमेश के मेमोरेण्डम और उसके आधार पर हुई जप्ती के साक्षी है जिन्होंने कि अभियोजन प्रकरण का समर्थन नहीं किया है और उन्हें पक्षद्रोही

घोषित किया गया है। साक्षी गुलाटी अ०सा० 10 आरोपी मुन्नासिंह से पूछताछ कर मेमो प्र.पी. 19 एवं उसके आधार पर बताई गई जप्ती प्र.पी. 20 का साक्षी है।

- 21. साक्षी सुरेश दुवे अ०सा० 6 आरक्षक आर.मोहर्र जिसके द्वारा कि 12 बोर की अधिया और राउण्ड व खोखों की जॉच की गई है जो कि अधिया को चालू आहत में और राउण्ड को भी जिंदा होना पाया जाना बताया है, इस संबंध में जॉच रिपोर्ट प्र.पी. 13 होना बताया है। साक्षी योगेन्द्र सिंह अ०सा० 11 जो कि आयुध अधिनियम के अंतर्गत तत्कालीन जिला दण्डाधिकारी रघुराज राजेन्द्रन के द्वारा आरोपी मुन्नालाल और सुरमेश के विरुद्ध अभियोजन चलाए जाने की स्वीकृति के संबंध में साक्षी है। इस संबंध में अभियोजन स्वीकृति प्र.पी. 17 व 18 होना और उस पर अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किया है।
- प्रकरण में बचाव पक्ष के द्वारा बचाव साक्षी सतेन्द्रसिंह ब0सा0 1 तथा स्वयं आरोपी मुन्नासिंह अ०सा० २ के रूप में परीक्षण कराए गए है। साक्षी सतेन्द्रसिंह ब०सा० 1 ने फर्जी बोट डालने के लिए महिला को लाने की बात को लेकर झगडा होना और जगदेव, हरेन्द्र, बंटी, गंभीर तथा अन्य कुल 7 लोग सुरमेश के साथ मरपीट करना मुन्ना, दीपक और शैलू के बचाने हेतु आना, जगदेव के द्वारा मुन्ना को गोली मारना जो कि पसली और वाह में लगना, हरेन्द्र के द्वारा राजेन्द्र और गुरूदयाल को कुल्हाडी मारना और घटनास्थल पर पत्थरवाजी होना बताया है। घटना के समय मुन्ना, शैलू और दीपक के पास कोई हथियार न होना और उनके द्वारा कोई घटना कारित न करना उसके द्वारा बताया जा रहा है। बचाव पक्ष के द्वारा परीक्षित आरोपी मुन्नासिंह ब0सा0 2 के द्वारा यह भी बताया गया है कि फर्जी महिला को बोट डलवाने के लिए लाए जाने का विरोध सुरमेश ने किया था और उसी रंजिश पर से फरियादीगण सुरमेश को वाउण्डरी के बाहर खींचकर ले गए और सुरमेश के चिल्लाने पर उसके व अन्य लोगों के बचाव हेतु जाने और इस दौरान जगदेवसिंह के द्वारा 12 बोर की बंदूक से उस पर फायर करने जो कि वाई भुजा और सीने में लगना, हरेन्द्र के द्वारा कुल्हाडी मारन जो गुरूदयाल के माथे में और विजयराम के सिर में लगना बताया है। इसके अतिरिक्त वहाँ पर पुलिस वालों के द्वारा हवाई फायर करना और घटना की रिपोर्ट सुरमेश के द्वारा किया जाना और उसे ग्वालियर रेफर कर देना जहाँ कि 17–18 दिन तक भर्ती रहना वह अभिकथित किया है और यह कथन किया है कि क्रोस केश से बचने के लिए उन लोगों के विरुद्ध धारा 307 भा0दं0वि0 की झूठी कार्यवाही करवाई गई है।

- 23. अभियोजन तथा बचाव पक्ष के द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त सम्पूर्ण साक्ष्य के संबंध में साक्षियों के सम्पूर्ण कथनों के परिप्रेक्ष्य में और उनके प्रतिपरीक्षण उपरांत उनकी विश्वसनियता और साक्ष्य मूल्य के संबंध में विचार किया जाना उचित होगा।
- वर्तमान प्रकरण के फरियादी / रिपोर्टकर्ता हरेन्द्रसिंह अ०सा० 1 के साक्ष्य कथन 24. का प्रतिपरीक्षण उपरांत जहाँ तक प्रश्न है, उक्त साक्षी जिसने कि प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी. 1 दर्ज कराई गई है, अपने साक्ष्य कथन के मुख्य परीक्षण में घटना में मात्र आरोपी मुन्ना, दीपक और शैलू यादव के द्वारा फायर किया जाना, झगडा विवाद एवं घटना कारित करना बताया है और यह अभिकथित किया है कि उसे जान से मारने की नियत से तीनों ने फायर किये थे। उक्त साक्षी को अभियोजन के द्वारा पक्षद्रोही घोषित किया गया है। इसी प्रकार घटना का अन्य साक्षी जगदेवसिंह अ०सा० २ भी मात्र आरोपी शैलू, दीपक और मुन्ना के उपस्थिति और उनके द्वारा ही घटना कारित करना और उसके ऊपर फायर करना जो कि उसकी बहन जयदेवी के द्वारा हाथ लगाने से उसे छर्रे लगना बताया है। उक्त साक्षी को भी अभियोजन के द्वारा पक्षद्रोही घोषित किया गया है। घटना के अन्य साक्षी एवं आहत धर्मेन्द्र अ०सा० ३, शिवराम अ0सा0 5, सुरेन्द्र पुत्र माधोसिंह अ0सा0 7, अभिलाख अ0सा0 8, गंभीरसिंह अ0सा0 10 जो कि घटना के समय घटनास्थल पर मौजूद होना और घटना के आहत होना बताये गए है के द्वारा भी घटना के समय घटनास्थल पर आरोपी शैलू, दीपक और मुन्ना के द्वारा घटना कारित किया जाना जिसमें कि कट्टा, अधिया से फायर करना बताया है। उपरोक्त साक्षीगण को भी अभियोजन के द्वारा पक्षद्रोही घोषित किया गया है।
- 25. अभियोजन प्रकरण के संबंध में यह उल्लेखनीय है कि घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी. 1 में सुरमेश, मुन्नालाल यादव, शैलू यादव, दीपक यादव, दिनेश, गुरूदयाल एवं राजेन्द्र के नामजद रिपोर्ट हुई है जो कि प्र.पी. 1 की प्रथम सूचना रिपोर्ट से स्पष्ट है। उक्त सातों आरोपी ही वर्तमान में विचारण का सामना कर रहे है। इस संबंध में घटना का फरियादी एवं रिपोर्टकर्ता हरेन्द्रसिंह केवल मुन्ना, शैलू व दीपक के द्वारा झगडा करना और उसे जान से मारने की नियत से तीनों ने फायर करना और इस दौरान उसकी बुआ बचाने के लिए आई और उसने हाथ लगाया तो उसके हाथ में छरें लगना बताया है। उक्त साक्षी के द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट में सातों आरोपियों के घटना में मौजूद होना और उनके द्वारा घटना कारित करना बताया है और घटना के समय फायर 12 बोर की बंदूक से आरोपी सुरमेश के द्वारा उन्हे जान से मारने की नियत के संबंध में उल्लेख आया है, जबिक न्यायालय में हुए कथन में साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर अभियोजन के द्वारा सूचक प्रकार के प्रश्नों के दौरान उक्त

साक्षी घटना में आरोपी सुरमेश, दिनेश, गुरूदयाल और राजेन्द्र के संलग्न होने अथवा उनके नाम घटना कारित करने वालों में न लिखाना अभिकथित किया है और इस संबंध में प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी. 1 के बी से बी, सी से सी और डी से डी भागों और पुलिस कथन प्र.पी. 2 के ए से ए, बी से बी और सी से सी व डी से डी भाग जिसमें कि आरोपी सुरमेश, राजेन्द्र, गुरूदयाल और दिनेश के घटना में शामिल होने के संबंध में उल्लेख आया है, उक्त बात अपने पुलिस कथन में न बताना अभिकथित किया है।

घटना के उक्त महत्वपूर्ण साक्षी एवं रिपोर्टकर्ता हरेन्द्रसिंह अ०सा० 1 के प्रतिपरीक्षण कंडिका 11 में इस बात को स्वीकार किया है कि वर्तमान प्रकरण के आरोपी स्रमेश कुशवाह की रिपोर्ट पर पुलिस थाना मौ में एक प्रकरण घटना दिनांक 21.01.2010 को हीं हुई घटना को लेकर उसके एवं जगदेवसिंह, शिवराम, गंभीर, बंटी उर्फ धर्मेन्द्र, अभिलाख और मोदी उर्फ सुरेन्द्र के विरूद्ध प्रकरण न्यायालय में संचालित है। आरोपी सुरमेश के द्वारा घटना दिनांक को किसी महिला को फर्जी बोट डलवाने के तथ्य को साक्षी गलत होना बताया है, जबिक वर्तमान घटना का प्रारंभ फर्जी बोट डालने के विवाद को लेकर के जो कि सुरमेश के साथ जो कि सरपंच पद का प्रत्यासी था होना अभियोजन के द्वारा बताया जा रहा है। इस प्रकार इस महत्वपूर्ण बिन्दु पर साक्षी के द्वारा किन कारणों से विरोधाभासी कथन किये जा रहे है यह भी विचारणीय है। इस संबंध में प्रतिपरीक्षण कंडिका 11 में सबसे पहले विवाद दीपक यादव से शुरू होना साक्षी बता रहा है जो कि साक्षी के द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं पुलिस कथन से भिन्न कथन करते हुए दीपक यादव से विवाद शुरू होने के बारे में बताया जा रहा है और इस संबंध में पुलिस को रिपोर्ट लिखाते समय एवं वयान देते समय यह बात न बताना कि प्रत्यासी सुरमेश कुशवाह अपने साथ मुन्नासिंह, शैलू, दिनेश, गुरूदयाल तीन महिलाओं को साथ में लेकर आए थे अभिकथित किया है और इस बिन्दु पर पुलिस रिपोर्ट प्र. पी. 1 और पुलिस कथन प्र.पी. 2 पर उक्त बिन्दुओं पर साक्षी के कथनों में स्पष्ट रूप से बिसंगति आनी स्पष्ट होती है। घटना में घटना खेल पर फायर होने के संबंध में भी साक्षी के द्वारा दर्ज कराई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं पुलिस को दिए गए कथन व न्यायालय में हुए कथनों में महत्वपूर्ण विरोधाभास आना स्पष्ट होता है। साक्षी आरोपी मुन्नासिंह यादव के द्वारा उसके ऊपर 12बोर की अधिया से गोली चलाना प्रतिपरीक्षण कंडिका 17 में बताया है और हवाई फायर शैलू व दीपक के द्वारा करने के संबंध में बताया है, किन्तु इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी. 1 एवं साक्षी के पुलिस कथन प्र.पी. 2 में घटना

के समय घटनास्थल पर 12बोर बंदूक से फायर आरोपी सुरमेश के द्वारा किये जाने का उल्लेख है, जबकि साक्षी अपने साक्ष्य कथन में कहीं भी उक्त साक्षी आरोपी सुरमेश को घटना के परिदृश्य में होना अथवा घटना में उसकी किसी प्रकार से संलग्नता होने के संबंध में नहीं बता रहा है।

- 27. इस प्रकार सर्वप्रथम यह स्पष्ट होता है कि घटना का फरियादी जिसने कि प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखाई है वह प्रथम सूचना रिपोर्ट में उसके द्वारा घटना के संबंध में दर्ज कराए गए महत्वपूर्ण तथ्य के संबंध में विरोधाभासी कथन अपने साक्ष्य के दौरान कर रहा है और इसी प्रकार साक्षी के पुलिस को दिए गए धारा 161 जा.फौ. के कथन में महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर भी साक्षी के कथनों में विरोधाभास एवं विसंगति आनी स्पष्ट होती है। इसके अतिरिक्त अभियोजन द्वारा प्रस्तुत अन्य साक्षीगण जगदेवसिंह अ०सा० 2, धर्मेन्द्र अ०सा० 3, शिवराम अ०सा० 5, सुरेन्द्रसिंह अ०सा० 7, अभिलाखिसंह अ०सा० 8, जयदेवी अ०सा० 9, गंभीरसिंह अ०सा० 10, सुरेन्द्र पुत्र शिरामसिंह अ०सा० 12 के कथनों से भी ऐसा परिलक्षित होता है कि उक्त साक्षीगण न्यायालय के समक्ष अभियोजन का प्रकरण जिस प्रकार से बता रहा है वह इस संबंध में कई महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाने का प्रयास कर रहा है तथा उसके द्वारा पिक एण्ड चूज अपनाया जाना स्पष्ट होता है, उससे प्रभावित होती है। इस प्रकार के साक्षियों के कथनों पर सावधानीपूर्वक एवं सतर्कता से विचार किया जाना अपेक्षित एवं आवश्यक है।
- 28. धारा 137 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत किसी साक्षी के साक्ष्य का अर्थ उसे मुख्य परीक्षण एवं प्रतिपरीक्षण तथा पुनः परीक्षण में आए हुए तथ्यों से है और उसी प्रतिपरीक्षण में साक्षी की विश्वसनीयता और उसके साक्ष्य मूल्य के संबंध में विचार किया जाता है। अभियोजन प्रकरण के संबंध में न्यायालय के समक्ष पेश की गई वैधानिक साक्ष्य के आधार पर ही साक्षी के साक्ष्य कथन की विश्वसनीयता और उसके साक्ष्य मूल्य पर विचार किया जा सकता है, जैसा कि इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा सूरजमल वि० स्टेट ऑफ (दिल्ली एडिमिनिस्ट्रेशन 1979)4 एस०सी०सी० 79 तथा परमजीतिसंह उर्फ पम्मा वि० स्टेट ऑफ उत्तराखण्ड (2010)10 एस.सी.सी. 439 में अवधारित किया गया है कि यदि कोई भी साक्षी साक्ष्य के दौरान किसी भी स्टेज पर विरोधाभासी कथन करता है तो उसके साक्ष्य कथन की विश्वसनीयता प्रभावित होगी। किसी आरोपी के केवल प्रकरण में आई हुई वैधानिक साक्ष्य के आधार पर भी दोषसिद्ध टहराई जा सकती है।

- 29. उक्त परिप्रेक्ष्य में वर्तमान प्रकरण में अभियोजन के द्वारा प्रस्तुत साक्षियों के कथनों पर विचार करते हुए घटना के फरियादी / रिपोर्टकर्ता हरेन्द्रसिंह तथा अन्य चक्षुदर्शी एवं आहत साक्षीगण जगदेवसिंह अ०सा० 2, धर्मेन्द्र अ०सा० 3, शिवराम अ०सा० 5, सुरेन्द्र सिंह अ०सा० 7, अभिलाखसिंह अ०सा० 8, गंभीरसिंह अ०सा० 10 जो कि पक्षद्रोही रहे है और जिनको अभियोजन के द्वारा पूछे गए सूचक प्रकार के प्रश्न तथा उनके प्रतिपरीक्षण में आए हुए तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में उक्त साक्षीगण के कथनों में आए हुए तात्विक प्रकार के विरोधाभास एवं विसंगति के परिप्रेक्ष्य में उनके कथन विश्वास योग्य नहीं पाए जाते है।
- 30. यह उल्लेखनीय है कि घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट में आरोपी सुरमेश कुशवाह के द्वारा 12 बोर की अधिया से जान से मारने की नियत से फायर किये जाने के संबंध में उल्लेख आया है, जबिक फरियादी हरेन्द्रसिंह कहीं भी सुरमेश के द्वारा फायर करने के संबंध में कोई तथ्य नहीं बताया है, बिल्क यह बताया है कि उसे जान से मारने की नियत से मुन्ना, दीपक, शैलू तीनों फायर करने लगे जो कि उसकी बुआ जयदेवी उसे बचाने के लिए आई तो 12 बोर की अधिया के सामने हाथ लगा दिया जिससे कि उनके हाथ में छर्र लग गए। इस संबंध में अभियोजन साक्षी जगदेवसिंह अ०सा० 2 के द्वारा यह बताया जा रहा है कि उसके ऊपर मुन्नासिंह ने फायर किया था जो कि उसकी बहन जयदेवी के हाथ में लगा था। साक्षी हरेन्द्रसिंह उसे जान से मारने की नियत से गोली चलाया जाना अभिकथित कर रहा है, जबिक साक्षी जगदेवसिंह यह कह रहा है कि उसे मारने की नियत से गोली चलाई गई थी। इस प्रकार इस बिन्दु पर साक्षियों के कथनों में परस्पर विरोधाभासी कथन आना स्पष्ट होता है जिससे कि साक्षीगण की विश्वसनीयता प्रभावित होती है।
- 31. इसके अतिरिक्त यह भी उल्लेखनीय है कि अभियोजन साक्षी एवं घटना के बताए गए आहत शिवराम अ०सा० 5, मुन्ना, शैलू, दीपक के द्वारा 12 बोर की अधिया से फायर किसी को मारने के लिए कर रहे थे जो कि जयदेवी को बचाने के लिए हाथ कर दिया था बताया है। साक्षी गंभीरसिंह अ०सा० 10 मुन्ना के द्वारा अधिया से जगदेव के ऊपर फायर करना जो कि जयदेवी आगे आकर उसके ऊपर हाथ रख देना जिससे कि जयदेवी के गोली की चोट लगना पाना बताया है। साक्षिया जयदेवी अ०सा० 9 मुन्नासिंह के द्वारा अधिया से उसके भाई जगदेव पर फायर करना और उसके द्वारा हाथ लगा दिया जाना जो कि उसके हाथ और सिर में छर्र लगना बताया है। इस प्रकार इस महत्वपूर्ण बिन्दु पर जबिक घटना के

फरियादी के द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं पुलिस को दिए गए धारा 161 दं.प्र.सं. के कथन में घटना के समय आरोपी सुरमेश के द्वारा 12 बोर की अधिया से जान से मारने की नियत से फायर किये जाने के संबंध में जिसमें कि गंभीरिसंह को चोटें और जयदेवी के छरें लगने के संबंध में बताया है, किन्तु न्यायालय में हुए कथन में कहीं भी उसके द्वारा आरोपी सुरमेश के द्वारा कोई गोली चलाए जाने के संबंध में कोई बात नहीं बताई है। इस प्रकार इस महत्वपूर्ण बिन्दु पर अभियोजन साक्षियों के कथनों में गंभीर एवं तात्विक प्रकार का विरोधाभास आना स्पष्ट होता है। यह स्पष्ट है कि न्यायालय के समक्ष साक्षी उपस्थित होकर अभियोजन प्रकरण से भिन्न कथन करते हुए कथन कर रहे हों। उक्त परिप्रेक्ष्य में उपरोक्त अभियोजन साक्षियों के कथनों की विश्वसनीयता पूर्णतः प्रभावित होती है, उनके कथनों में विश्वास करते हुए अभियोजन प्रकरण की प्रमाणिकता के संबंध में कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है।

- 32. घटना में बताई गई आहता जयदेवी अ०सा० १ के कथन का जहाँ तक प्रश्न है, उक्त साक्षिया के प्रतिपरीक्षण उपरांत स्पष्ट है कि उक्त साक्षिया के द्वारा न्यायालय के समक्ष दिया गया कथन में केवल आरोपी मुन्ना के द्वारा गोली चलाए जाने के संबंध में बताया जा रहा है, इसके अलावा किसी आरोपी ने कोई गोली चलाई थी अथवा नहीं इस बारे में वह नहीं बता सकती है, जबिक पुलिस कथन में उसके द्वारा मुन्ना, दीपक, राजेन्द्र, गुरूदयाल, सुरमेश ने एकराय होकर अपने हाथों में 12 बोर के कट्टे लिए हुए और जान से मारने की नियत से फायर करने के संबंध में उल्लेख आया है। इस प्रकार इस महत्वपूर्ण बिन्दु पर साक्षिया के कथनों में विरोधाभास आना स्पष्ट होता है। घटना के समय घटनास्थल पर मात्र तीन आरोपीगण की मौजूदगी वह बता रही है, जबिक पुलिस कथन में उसके द्वारा अन्य आरोपियों के भी मौजूद होने और उनके द्वारा भी घटना कारित करने के संबंध में स्पष्ट रूप से बताया है। इस प्रकार उसके पुलिस कथन न्यायालय में हुए कथन में महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर लोप आना भी स्पष्ट होता हैं इस प्राकर साक्षिया जयदेवी जो कि घटना की आहता एवं मुख्य साक्षिया है के प्रतिपरीक्षण उपरांत उसके कथनों के आधार पर आरोपीगण या किसी आरोपी के द्वारा घटना कारित करने के संबंध में कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है।
- 33. यद्यपि पक्षद्रोही साक्षियों के कथन का जहाँ तक प्रश्न है, इस संबंध में यह सुस्थापित सिद्धांत है कि मात्र इस आधार पर कि किसी साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किया गया है इस कारण उसके पूरी साक्ष्य निर्थिक या वास आउट नहीं हो जाती। इस प्रकार पक्षद्रोही हुए साक्षी के मामले पर न्यायालय को सामान्यतः उसके कथन की पुष्टि देखनी चाहिए और सतर्कता से छानबीन करनी चाहिए, जैसा कि इस संबंध में खुज्जी उर्फ सूरेन्द्र तिवारी वि0

स्टेट ऑफ एम.पी. ए.आई.आर. 1991 एस.सी. 1853 एवं गुरूप्रीतसिंह वि० स्टेट ऑफ हरयाणा (2002)8 एस.सी.सी. 18 इस संबंध में उल्लेखनीय है।

- 34. अभियोजन साक्षीगण जो कि पक्षद्रोही हुए है जिनके संबंध में पूर्व विवेचना में बताया गया है, उक्त पक्षद्रोही साक्षियों के सम्पूर्ण कथन के परिप्रेक्ष्य में उनके कथन के आधार पर आरोपीगण या किसी आरोपी के विरूद्ध लगाए गए आरोप के संबंध में अपराध कारित करने की सम्पुष्टि होनी नहीं मानी जा सकती है।
- 35. यह भी उल्लेखनीय है कि घटना के पश्चात् घटनास्थल से दो पत्थर के टुकडे और दो कारतूस के खोखों की जप्ती की गई है, जैसा कि जप्तीकर्ता एवं विवेचनाधिकारी जे0आर0जुमनानी अ0सा0 14 के द्वारा अपने कथन में बताया है। ऐसी दशा में जबिक घटना स्थल पर पुलिस वालों के द्वारा भी फायर करने के संबंध में अभियोजन साक्षियों के द्वारा बताया जा रहा है और घटनास्थल पर मात्र दो खोखों की जप्ती होनी बताई जा रही है इस पिरप्रेक्ष्य में भी अभियोजन साक्षियों के कथन कि घटनास्थल पर कई गोलियाँ चलाई गई और कई आरोपियों के द्वारा गोलियाँ चलाई जा रही थी, इस तथ्य की पुष्टि नहीं होती है, बल्कि अभियोजन साक्षियों के द्वारा बढ़ा—चढ़ाकर कथन किए जा रहे है। इस संबंध में यह भी उल्लेखनीय है कि राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट प्रदर्श सी.1 में परीक्षण हेतु भेजे गए जप्तशुदा खोखे, जप्त की गई 12बोर की अधिया से नहीं चलाए जा सकते है, बल्कि उसे किसी अन्य फायर आर्म्स से चलाए जाने के संबंध में उल्लेख आया है। ऐसी दशा में राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट के आधार पर भी घटना के संबंध में घटना में आरोपी मुन्ना के द्वारा कथित रूप से 12 बोर की अधिया से फायर किये जाने की पुष्टि होनी नहीं पाई जाती है।
- 36. यह भी उल्लेखनीय है कि घटना जो कि दिनांक 21.01.2010 के 14:50 बजे प्राथमिक शाला भवन अधियारीखुर्द के बाहर की होनी बताई गई है। उपरोक्त दिनांक को घटना कारित करने के संबंध में वर्तमान प्रकरण के फरियादी पक्ष के विरुद्ध वर्तमान प्रकरण के आरोपी सुरमेश की रिपोर्ट के आधार पर अपराध कमांक 06/2010 धारा 307, 336, 147, 148, 149 भा0दं0वि0 का दर्ज हुआ है। उपरोक्त दोनों घटनाओं का घटनास्थल एक ही है जैसा कि इस संबंध में प्रदर्श डी—11 के अंतर्गत मौके से वस्तुस्थिति स्पष्ट होती है। उपरोक्त घटना में भी आहत दीपक, मुन्नासिंह, राजेन्द्रसिंह, गुरूदयाल को चोटें आना जो कि इस संबंध में उनकी

मेडीकल रिपोर्ट प्रदर्श डी—1 लगायत 4 से स्पष्ट होता है। उक्त आहतों को चोटें किस प्रकार से आई है इस संबंध में कोई भी स्पष्टीकरण अभियोजन के किसी भी साक्षी के द्वारा नहीं दिया गया है, जबिक उक्त आहतों को चोटें किस प्रकार से आई है इस आशय का स्पष्टीकरण दिया जाना आवश्यक था। इस परिप्रेक्ष्य में कि आहतों को आई हुई चोटों का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है अभियोजन प्रकरण की विश्वसनीयता प्रभावित होती है।

- 37. घटना दिनांक को घटना समय व स्थान पर आरोपीगण के द्वारा घातक आयुधों से सुसज्जित होकर बलवा कारित करने का जहाँ तक प्रश्न है, विधि विरुद्ध जमाव के गठन हेतु पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों का जमाव जिनका कि सामान्य उद्देश्य धारा 141 भा0दं०वि० के अंतर्गत दर्शाया गये अपराध को करने का है, आवश्यक है। वर्तमान प्रकरण में अभियोजन साक्षियों जिसमें कि घटना का फरियादी / रिपोर्टकर्ता हरेन्द्रसिंह सहित घटना के अन्य बताए गए आहतों एवं साक्षियों के कथनों में कहीं भी घटनास्थल पर घटना के समय पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों की उपस्थिति और उनके द्वारा किसी प्रकार से अपराध में शामिल होने का तथ्य नहीं आया है, बिल्क साक्षियों के कथनों में तीन व्यक्तियों के घटनास्थल पर मौजूद होना बताया गया है। इस परिप्रेक्ष्य में विधि विरुद्ध जमाव का गठन करने एवं जमाव के सदस्यों के द्वारा कोई अपराध कारित करना प्रमाणित नहीं होता है।
- 38. इस संबंध में यह भी उल्लेखनीय है कि वर्तमान घटना के संबंध में उसी समय व स्थान पर घटना कारित किए जाने के संबंध में वर्तमान प्रकरण के फरियादी पक्ष पर भी प्रकरण चल रहा है जो कि इस संबंध में साक्षियों के कथनों एवं पेश किए गए दस्तावेजों से स्पष्ट होता है। इस प्रकार दोनों केश एक दूसरे से कोस केश होना स्पष्ट होते है। कोश केन्द्र के संबंध में यह आवश्यक है कि घटना का प्रारंभ किस पक्ष के द्वारा किया गया है, यह प्रमाणित किया जाना आवश्यक है। वर्तमान प्रकरण में आई हुई साक्ष्य के परिप्रेक्ष्य में कहीं भी ऐसा प्रमाणित नहीं होता है कि वर्तमान प्रकरण के आरोपीपक्ष ही घटना के प्रारंभकर्ता है। घटना फी फाईट की हो ऐसा भी कहीं साक्ष्य के आधार पर प्रमाणित नहीं है। ऐसी दशा में जबिक वर्तमान प्रकरण का आरोपीपक्ष के घटना का प्रारंभकर्ता होने का तथ्य प्रमाणित नहीं है, इस आधार पर भी आरोपीगण या किन्हीं आरोपी के द्वारा घटना कारित किए जाने के तथ्य की पुष्टि नहीं होती है।
- 39. इस प्रकार प्रकरण में आई हुई सम्पूर्ण साक्ष्य के आधार पर घटना दिनांक को घटनास्थल पर आरोपीगण के द्वारा विधि विरूद्ध जमाव का गठन कर उसके अग्रसरण में

कार्य करते हुए घातक आयुधों से सुसज्जित होकर वल व हिंसा का प्रयोग करने अथवा आरोपीगण के द्वारा लापरवाही एवं उतावलेपन से पत्थर आदि फेंककर मानव जीवन को क्षेम संकटापन्न कारित करने अथवा आरोपीगण या किन्हीं आरोपियों के द्वारा जान से मारने की नियत से गंभीरसिंह, शिवरामसिंह एवं जयदेवी को अग्नेयशस्त्र से फायर कर उपहित कारित करने अथवा इस संबंध में सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में उक्त कृत्य किये जाने का तथ्य युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित होना नहीं पाया जाता है।

# बिन्दु क्रमांक ७ व ८ :-

- 40. अभियोजन के अनुसार आरोपी सुरमेश के आधिपत्य से एक 12 बोर के कट्टे व एक जिंदा कारतूस व एक कारतूस का खोखा बरामद किया गया है जो कि बिना लाइसेंस के अपने आधिपत्य में रखे हुए पाए गए थे जिन्हें रखने हेतु उसके पास कोई वैध लाइसेंस नहीं था। इस बिन्दु पर साक्षी जे0आर0जुमनानी अ0सा0 14 के द्वारा अपने साक्ष्य कथन में आरोपी सुरमेश को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी—23 बनाना और आरोपी सुरमेश से गवाहों के समक्ष पूछताछ कर उसके द्वारा कट्टा गोंडा में छिपाकर रखा होना और चलकर बरामद करा देना बताया था जिस पर मेमोरेण्डम प्रदर्श पी— 24 तैयार किया गया था और आरोपी सुरमेश की निशादेही पर अधिया 12 बोर और एक कारतूस का खोखा और एक जिंदा कारतूस जप्त कर जप्ती पत्रक प्रदर्श पी—25 तैयार किया जाना बताया है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी यह स्वीकार किया है कि जप्ती पत्रक पर शील नमूना की छाप नहीं लगाई गई है।
- 41. आरोपी सुरमेश से बताई जा रही उक्त जप्ती का जहाँ तक प्रश्न है, इस बिन्दु पर अभियोजन के द्वारा जप्ती के स्वतंत्र साक्षी मिहपालिसंह अ0सा0 15 के रूप में परीक्षित कराया गया है, किन्तु साक्षी मिहपालिसंह के द्वारा आरोपी सुरमेश से उसके सामने कोई पूछताछ करना अथवा जप्ती की कोई कार्यवाही होने का कोई समर्थन नहीं किया गया है। उक्त साक्षी को अभियोजन के द्वारा पक्षद्रोही घोषित किया गया है, इस बिन्दु पर अन्य अभियोजन साक्षी करनिसंह का परीक्षण अभियोजन के द्वारा नहीं कराया गया है। ऐसी दशा में किसी भी स्वतंत्र साक्षी के कथन के आधार पर आरोपी सुरमेश से अग्नेयशस्त्र की जप्ती जो कि जप्तीकर्ता अधिकारी के द्वारा बताई जा रही है की सम्पुष्टि नहीं होती है।
- 42. प्रकरण में फरियादी / रिपोर्टकर्ता एवं घटना में बताए गए आहतगण सहित किसी भी साक्षी के द्वारा घटना दिनांक को घटना के समय आरोपी सुरमेश के घटना मे

संलग्न होने अथवा उसके पास कोई अग्नेयशस्त्र घटना के समय मौजूद होने के संबंध में कोई साक्ष्य नहीं आया है। ऐसी दशा में घटना के समय आरोपी सुरमेश के आधिपत्य में कोई अग्नेयशस्त्र मौजूद होना अथवा उसके द्वारा घटना में कोई अग्नेयशस्त्र का उपयोग किया जाने का तथ्य मात्र विवेचना अधिकारी जे0आर0जुमनानी के कथनों के आधार पर प्रमाणित होना नहीं माना जा सकता है। इस संबंध में आरक्षक आर.मोहर्र सुरेश दुवे अ0सा0 6 के कथन के आधार पर कि जप्तशुदा 12बोर का अधिया चालू हालत में होना तथा जप्तशुदा राउण्ड जिंदा होना बताया है एवं इसी बिन्दु पर साक्षी योगेन्द्रसिंह अ0सा0 11 के कथन के आधार पर कि तत्कालीन जिला दण्डाधिकारी के द्वारा अभियोजन चलाए जाने की स्वीकृति दी गई है के परिप्रेक्ष्य में भी उक्त आरोपी के विरुद्ध अपराध प्रमाणित होना नहीं माना जा सकता है।

- 43. अभियोजन के द्वारा आरोपी मुन्ना से एक 12बोर का अधिया और 02 जिंदा कारतूस जप्त होना बताया गया है। इस बिन्दु पर विवेचना अधिकारी जे0आर0जुमनानी अ0सा0 14 के द्वारा अपने साक्ष्य कथन में आरोपी मुन्ना से पूछताछ कर मेमोरेण्डम कथन प्र.पी. 19 लेखबद्ध करना तथा उसके पेश करने पर एक 12 बोर का अधिया व दो जिंदा कारतूस जप्त कर जप्ती पत्रक प्र.पी. 20 तैयार करना बताया है। प्रतिपरीक्षण में उक्त साक्षी के द्वारा यह बताया गया है कि जिस खेत की तिबरिया में उससे जप्ती की जानी बताई जा रही है, उसमें कोई भी आ जा सकता है और इस बात को भी स्वीकार किया है कि जिस समय तिवरिया में गए थे उस समय दरवाजा खुला हुआ था, उसमें कोई भी आदमी आ जा सकता था।
- 44. उपरोक्त संबंध में अभियोजन के द्वारा मेमोरेण्डम एवं जप्ती के साक्षी गुटाली अ०सा० 13 के रूप में परीक्षित कराए गए है। उक्त साक्षी आरोपी से 12बोर का एक कट्टा जप्त करना और इस संबंध में गिरफ्तारी पत्रक प्र.पी. 18 एवं मेमोरेण्डम प्र.पी. 19 और जप्ती पत्रक प्र.पी. 20 के बी से बी भागों पर अपने हस्ताक्षर होना बताया है। उक्त साक्षी प्रतिपरीक्षण में बताया है कि पुलिस ने उसके सामने जो हथियार बरामद करना बता रहा है वह कट्टा था वह अधिया नहीं थी, जबिक जप्ती पत्रक प्र.पी. 20 में अधिया की जप्ती होना बताया जा रहा है। उक्त साक्षी हथियारों के संबंध में किस प्रकार के हथियार होते है उसे जानकारी होना बता रहा है। अभियोजन के द्वारा जप्ती के अन्य बताए गए स्वतंत्र साक्षी करनिसंह चौहान के कथन नहीं कराए गए है।
- 45. इस प्रकार प्रकरण में आई हुई उपरोक्त अभियोजन साक्ष्य के आधार पर आरोपी मुन्ना के आधिपत्य से अवैध रूप से रखे हुए हथियार/अग्नेयशस्त्र की जप्ती का तथ्य

युक्तियुक्त रूप से प्रमाणित होना नहीं पाया जाता है। इस परिप्रेक्ष्य में अभियोजन चलाए जाने की स्वीकृत के संबंध में प्रस्तुत साक्षी योगेन्द्र सिंह अ०सा० 11 के आधार पर कि तत्कालीन दण्डाधिकारी रघुराज राजेन्द्रनन के द्वारा अभियोजन चलाए जाने की स्वीकृत दी गई है। इस आधार पर आरोपी के विरुद्ध अपराध की प्रमाणिकता सिद्ध होनी नहीं मानी जा सकती है तथा आई हुई साक्ष्य के आधार पर आरोपी के द्वारा घटना में उक्त अग्नेयशस्त्र का उपयोग किये जाने का तथ्य प्रमाणित होना नहीं माना जा सकता है।

- 46. उपरोक्त विवेचना एवं विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण में आई हुई सम्पूर्ण अभियोजन साक्ष्य के परिप्रेक्ष्य में अभियोजन का वर्तमान प्रकरण आरोपीगण के विरूद्ध युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित होना नहीं पाया जाता है। विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि अभियोजन को अपना प्रकरण हर संदेह से परे प्रमाणित करना होगा, संदेह की स्थिति का लाभ आरोपी प्राप्त करने का अधिकारी है। वर्तमान प्रकरण में आई हुई साक्ष्य के आधार पर अभियोजन प्रकरण की प्रमाणिकता विचारित किये जा रहे आरोपीगण के विरूद्ध युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित होनी नहीं पाई जाती है। अतः अभियोजन प्रकरण को संदेह से परे प्रमाणित होना न पाते हुए आरोपी मुन्नालाल एवं सुरमेश को आरोपित अपराध धारा 323 विकल्प में धारा 336, 148, 307 विकल्प में धारा 307/149 भा0दं0वि0 धारा 25(1—बी)ए, 27 आयुध अधिनियम के आरोप दीपक, राजेन्द्र व गुरूदयाल को आरोपित अपराध धारा धारा 323 विकल्प में धारा 336, 148, 307 विकल्प में धारा 307/149 भा0दं0वि0 के आरोपी से एवं आरोपीगण दिनेश, शैलू का विचारण धारा 323 विकल्प में धारा 336, 147, 307/149 भा0दं0वि0 के आरोपी से दोषमुक्त किया जाता है।
- 47. प्रकरण में जप्तशुदा दो 12 बोर की अधिया एवं तीन जिंदा कारतूस व तीन खाली खोखे कारतूस 12 बोर के एवं दो कारतूस के खाली खोखा पीतल के अपील अवधि पश्चात् जिला दण्डाधिकारी भिण्ड को विधिवत निराकरण हेतु भेजा जावे। इसके अतिरिक्त जप्तशुदा 2 पत्थर के टुकडे एवं एक मासिच मूल्यहीन होने से अपील अवधि पश्चात् नष्ट किए जाए। अपील होने के दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के निर्देशों का पालन किया जाए।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित हस्ताक्षरित एवं घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर टाईप किया गया

ATTEMPTA PERSON BUILTIN EN SHIPER SHI

(डी0सी0थपलियाल) अपर सत्र न्यायाधीश, गोहद जिला- भिण्ड (म.प्र.)